[2020] 3 उम. नि. प. 345

सतीश कुमार और एक अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2017 की दांडिक अपील सं. 19 और 2016 की दांडिक अपील सं. 1109]

2 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – हेतु – दोषसिद्धि – जहां अभियोजन पक्ष अपराध के हेतु के साथ-साथ यह भी साबित करने में असफल रहा हो कि अपराध कारित करने में प्रयुक्त आयुध (बंदूक) से गोली अभियुक्तों में से किस अभियुक्त ने चलाई थी, वहां अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई बंदूक की मात्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और उन्हें संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 378 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – उच्च न्यायालय की शक्ति – जहां विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया हो, वहां अपील में उच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्ष में केवल तब हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह निष्कर्ष अनुचित हो किंतु साक्ष्य की संवीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर दोषमुक्ति के संभाव्य निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस निरीक्षक को दूरभाष पर कथित रूप से एक सूचना प्राप्त हुई कि रत्ती राम पुत्र श्री रोशन

लाल की बंदूक की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस दल घटनास्थल की ओर रवाना हुआ । उसके पश्चात् मृतक की पुत्री नीलम शर्मा (अभि. सा. 1) के कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई । नीलम शर्मा ने यह कथन किया कि उसका पिता तारीख 21 दिसंबर, 2009 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में उसे यह सूचित करते हुए घर से गया था कि वह गांव चुजाला में कर्मा के मकान पर जाएगा और उसके पश्चात् वह गांव हरलोग में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाएगा । किंतु जब वह 6.00 बजे अपराह्न तक नहीं लौटा तो उसने उसके मोबाइल पर कॉल की किंतु मोबाइल बंद था । उसने सुबह अपने पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए वन संरक्षक से कॉल की, जिसने उसे बताया कि उसका पिता ड्यूटी करने के लिए नहीं आया था । उसके पश्चात्, उसने अभियुक्त सतीश कुमार, जिसका मकान उसके मकान के सामने है, को कॉल की और गांव चुजाला के निवासी कर्मा का फोन नंबर मांगा । तारीख 22 दिसंबर, 2009 को जब पुलिस उसके मकान पर आई तब उसे पता चला कि सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा गोली मारने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके पिता का शव बाल्ह चुरानी जंगल में पड़ा हुआ है । हत्या का हेतु शिमला उच्च न्यायालय में सतीश कुमार के साथ लंबित भूमि विवाद का होना बताया गया था । प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को इस कारण से दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषक अधिकारी को शव के बारे में जानकारी थी, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटन कथनों को अभिलिखित करने के प्रश्न का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं रह जाता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता की संस्वीकृति का निष्कर्ष निकाला जाना कठिन है बल्कि निर्दोषिता के निष्कर्ष निकलते हैं । परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की नहीं हैं और अभियुक्तों की निर्दोषिता के असंगत प्रत्येक संभाव्य परिकल्पना अपवर्जित नहीं होती है । तथापि, शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुरजोर रूप से अभियुक्तों द्वारा बंदूक के प्रयोग का पता चलता है । अत: अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाला साक्ष्य है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रकटन कथन के अनुसरण में की गई बरामदगी से पूर्व शव की जानकारी अभियोजन पक्ष को नहीं थी, इसलिए विचारण न्यायालय का निष्कर्ष सही नहीं है । उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि यदि यह मान लिया जाए कि बंदूक से गोली केवल एक अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी, तो इससे सुसंगत घटना में अन्य अभियुक्त की अपराध में आलिप्त भूमिका से दोषमुक्ति नहीं मिल जाती है । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन सतीश कुमार द्वारा की गई टेलीफोन कॉल पर आधारित है किन्तु टेलीफोन कॉल की सत्यता का सत्यापन करने के लिए कॉल का कोई ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, प्राप्त हुई फोन कॉल के अनुसरण में कोई सत्यापन नहीं किया गया था । अपराध में आलिप्त करने वाली जिस अन्य परिस्थिति से उच्च न्यायालय प्रभावित हुआ है, वह लेख राम, अनुज्ञप्तिधारी के मकान से एक नाली बंदूक सहित कारतूस की बरामदगी है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से केवल यह दर्शित होता है कि ऐसी बंदूक अपराध के करने में प्रयुक्त की गई थी, किन्तु अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने मे असफल रहा है कि वास्तव में किस अभियुक्त ने बंदूक का प्रयोग किया था । अभियुक्त सतीश कुमार का प्रकटन कथन यह है कि उसने बंदूक से गोली चलाई थी । किन्तु बंदूक की बरामदगी अभियुक्त राजीव कुमार के प्रकटन कथन के आधार पर हुई थी । लेख राम की लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग करने के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, यद्यपि बंदूक के साथ-साथ खाली और जिंदा कारतूस राजीव कुमार के कथन के आधार पर बरामद किए गए थे । यह निश्चायक रूप से अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि वह राजीव कुमार था या सतीश कुमार, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी । इस

साक्ष्य के अभाव में कि दोनों अभियुक्तों में से किसने मृतक पर गोली चलाई थी, अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई केवल बंदूक की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अतिरिक्त रूप से अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया है । अधिनियम की धारा 25 में वर्णित शर्तों में से किसी शर्त का लेख राम, अनुज्ञप्तिधारी सहित सभी अभियुक्तों पर मोटे तौर पर भी विस्तार नहीं होता है । अधिनियम की धारा 27 में दंड के लिए वहां उपबंध किया गया है यदि जो कोई उक्त अधिनियम की धारा 5 के उल्लघंन में किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का प्रयोग करता है । पुनः, धारा 5 में वर्णित शर्तों में से कोई भी शर्त लेख राम सहित किसी भी अभियुक्त पर लागू नहीं होती है । अधिक से अधिक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने का अभिकथन किया जा सकता है किन्तु अभियुक्तों में से किसी को भी अधिनियम की धारा 30 के अधीन अतिक्रमण के लिए आरोपित नहीं किया गया है । इसलिए अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्तों में से कोई भी दोषसिद्धि के लिए दायी नहीं है । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु सुसंगत होता है किन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के किसी हेतु को साबित करने में असफल रहा है । नीलम शर्मा (अभि. सा. 1) के कथन के अनुसार, हेतु सतीश कुमार के साथ भूमि विवाद था । यदि ऐसा हेतु था, तो अपने पिता के ठोर-ठिकाने का पता करने के लिए उसके पास सतीश कुमार से संपर्क करने का कोई कारण नहीं था, जो कथित रूप से उसके मकान के निकट रह रहा था । उक्त हेतु के टिके रहने के लिए कोई आधार नहीं है । (पैरा 20, 21, 22 और 23)

विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित किया था । दोषमुक्ति के ऐसे आदेश में केवल तब हस्तक्षेप किया जा सकता है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में अनुचितता हो । केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय की एक भिन्न राय है, उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा । उच्च न्यायालय ने अपील में निर्णय को अपास्त करने और इस मामले में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध

करने के लिए उस दृष्टिकोण की बजाय, जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया था, एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय ने दोष के साबित न होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया हो, अपील न्यायालय को केवल तब हस्तक्षेप करना चाहिए यदि निष्कर्ष अनुचित हों और किसी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना संभव न हो । उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता है कि साक्ष्य की प्रक्रिया के आधार पर अपील न्यायालय का दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से भिन्न है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया था । इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया है, यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर एक संभाव्य निष्कर्ष है । हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष मृतक रत्ती राम की मृत्यु कारित करने में अभियुक्तों की भूमिका को साबित करने में असफल रहा है क्योंकि अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा किए गए एक जैसे प्रकटन कथनों के अनुसरण में शव की बरामदगी साबित नहीं होती है । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में कि किसने बंदूक से गोली चलाई थी जो घातक सिद्ध हुई थी, संदेह का फायदा अवश्य ही अभियुक्त व्यक्तियों को मिलना चाहिए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उन्हें यह फायदा दिया गया था । परिणामतः, इस न्यायालयीय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश पूर्णत: अवैध, अनावश्यक और अनुचित है । अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । (पैरा 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 289 : **बृजेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	12

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 :
चंद्रप्पा और अन्य बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 24

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 19. (इसके साथ 2016 की दांडिक अपील सं. 1109)

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 20 सितंबर, 2016 को पारित किए गए सामान्य निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलीर्थियों की ओर से श्री आर. सी. कोहली

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री अभिनव मुखर्जी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – 2017 की दांडिक अपील सं. 19 सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा, जबकि 2016 की दांडिक अपील सं. 1109 लेख राम द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 20 सितंबर, 2016 के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की गई थी और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 30 नवंबर, 2012 को पारित किया गया दोषमुक्ति का आदेश अपास्त कर दिया गया था । अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 तथा आयुध अधिनियम, 1959 (संक्षेप में आयुध अधिनियम) की धारा 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था ।

2. वे संक्षिप्त तथ्य जिनके आधार पर वर्तमान अपीलें उद्भूत हुई हैं, यह हैं कि तारीख 22 दिसंबर, 2009 को लगभग 7.15 बजे पूर्वाह्न में राम सिंह (अभि. सा. 15), निरीक्षक को दूरभाष पर कथित रूप से सतीश कुमार पुत्र कांशी राम द्वारा दी गई एक सूचना प्राप्त हुई कि रत्ती राम

पुत्र श्री रोशन लाल की बंदूक की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई है । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस थाना घुमरविन के थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस दल घटनास्थल की ओर रवाना हुआ । उसके पश्चात् मृतक रत्ती राम की पुत्री नीलम शर्मा (अभि. सा. 1) के कथन के आधार पर तारीख 22 दिसंबर, 2009 को लगभग 2.05 बजे अपराह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 218 रजिस्ट्रीकृत की गई ।

3. नीलम शर्मा ने यह कथन किया था कि उसका पिता तारीख 21 दिसंबर, 2009 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में उसे यह सूचित करते हुए घर से गया था कि वह गांव चुजाला में कर्मा के मकान पर जाएगा और उसके पश्चात् वह गांव हरलोग में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाएगा । किंतु जब वह 6.00 बजे अपराह्न तक नहीं लौटा तो उसने उसके मोबाइल नं. पर कॉल की किंतु मोबाइल बंद था । उसने सुबह अपने पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए वन संरक्षक से कॉल की, जिसने उसे बताया कि उसका पिता ड्यूटी करने के लिए नहीं आया था । उसके पश्चात्, उसने अभियुक्त सतीश कुमार, जिसका मकान उसके मकान के सामने है, को कॉल की और गांव चुजाला के निवासी कर्मा का फोन नंबर मांगा । तारीख 22 दिसंबर, 2009 को जब पुलिस उसके मकान पर आई तब उसे पता चला कि सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा गोली मारने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके पिता का शव बाल्ह चुरानी जंगल में पड़ा हुआ है । हत्या का हेतु शिमला उच्च न्यायालय में सतीश कुमार के साथ लंबित भूमि विवाद का होना बताया गया था ।

4. राम सिंह (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार के प्रकटन कथन तारीख 22 दिसंबर, 2009 को ही अभिलिखित किए गए थे । सतीश कुमार और राजीव कुमार दोनों अभियुक्तों के कथन (प्रदर्श पीडब्ल्यू2/ए और प्रदर्श पीडब्ल्यू15/सी) जसवंत सिंह (अभि. सा. 2) और कुलदीप सिंह (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में अभिलिखित किए गए थे । उन्होंने यह खुलासा किया था कि मृतक रत्ती राम के शव को बाल्ह चुरानी जंगल में छिपाया

गया है और वे उसकी बरामदगी करा सकते हैं । दोनों अभियुक्त पुलिस दल के साथ बाल्ह चुरानी जंगल में गए और उनके द्वारा घटनास्थल का सीमांकन करने पर साक्षी जसवंत सिंह और कुलदीप सिंह की मौजूदगी में तारीख 22 दिसंबर, 2009 को मृतक रत्ती राम का शव बरामद किया गया । शव को कब्जे में लेने का ज्ञापन प्रदर्श पीडब्ल्यू15/एफ है । शव के निकट पड़ा हुआ एक थैला भी बरामद किया गया था और नीलम शर्मा द्वारा वह थैला अपने पिता का होने की शनाख्त की गई थी । पुलिस द्वारा घटनास्थल से सूखी मिट्टी भी ली गई थी और शव की बरामदगी का स्थल नक्शा भी तैयार किया गया था । झाड़ियों के तनों पर दो गोलियों के चिह्न दिखाई पड़ रहे थे । गाढ़ी गई गोलियों को एक पत्थर से निकाला गया था ।

5. उसके पश्चात्, उसी दिन, अभियुक्त राजीव कुमार का अपने घर में एकनाली बंदूक छिपाने का खुलासा करने की बाबत एक अन्य कथन अभिलिखित किया गया था । बरामदगी ज्ञापन पीडब्ल्यू15/जी है । अभियुक्त राजीव कुमार ने यह भी कथन किया कि उसने अपने घर में खाली कारतूस छिपाए हैं और उन्हें भी तारीख 27 दिसंबर, 2009 को उसके घर से कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त लेख राम अभियुक्त राजीव कुमार का पिता है । यह अभिकथन किया गया है कि बंदूक का लाइसेंस उसके नाम पर था और उसके मकान से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे ।

6. अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी, पत्ते और घास के तिनके तथा मृतक रत्ती राम द्वारा पहने हुए कपड़े भी कब्जे में लिए थे । बंदूक, खाली कारतूस और जिंदा कारतूसों के साथ-साथ ये सभी वस्तुएं न्यायालयिक विज्ञान परीक्षण के लिए भेजी गई थीं । वस्तुओं, जैसे वस्त्र और उन पर रक्त तथा मिट्टी की बाबत रिपोर्ट (प्रदर्श पीडब्ल्यू14/बी) तारीख 22 मार्च, 2010 को प्रस्तुत की गई थी जबकि बंदूक के बारे में यह पाया गया था कि कारतूस राजीव कुमार के प्रकटन कथन के आधार पर बरामद की गई बंदूक से दागे गए थे । यह भी रिपोर्ट की गई थी कि मृतक द्वारा पहने गए वस्त्रों पर बंदूक की गोली के अवशेषों का चिह्न मौजूद था और गोली दूर से चलाई गई थी ।

7. मरणोत्तर परीक्षा तारीख 23 दिसंबर, 2009 को डा. एन. के. संखन (अभि. सा. 7) द्वारा की गई थी और उसने मृतक रत्ती राम के शव पर कई सारी क्षतियां पाई थीं और कई सारे छितरे हुए घाव भी पाए थे । उसकी अंतिम राय के अनुसार, मृतक रत्ती राम की मृत्यु बंदूक की गोली से पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप फेफड़ों और हृदय में पहुंची क्षतियों तथा हाइपोवोलेनिक सदमे के कारण हृदय श्वसन बंद होने के कारण हुई थी ।

8. प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को इस कारण से दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषक अधिकारी को शव के बारे में जानकारी थी, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटन कथनों को अभिलिखित करने के प्रश्न का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं रह जाता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता की संस्वीकृति का निष्कर्ष निकाला जाना कठिन है बल्कि निर्दोषिता के निष्कर्ष निकलते हैं । परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की नहीं हैं और अभियुक्तों की निर्दोषिता के असंगत प्रत्येक संभाव्य परिकल्पना अपवर्जित नहीं होती है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :–

> "29. अत: पूर्वोक्त चर्चा किए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रकट होता है कि अन्वेषक अधिकारी को शव के बारे में जानकारी थी और इस बात को देखते हुए अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटन कथन अभिलिखित करने के प्रश्न का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं रह जाता है । यदि पुलिस को पहले से ही बरामदगी के स्थल की जानकारी थी, तब प्रकटन कथनों के अनुसरण में एकत्रित किया गया साक्ष्य अग्राह्य हो जाता है और मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि से बाहर चला जाता है ।"

9. उच्च न्यायालय ने यह पाया कि विद्वान् विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि शव अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार

द्वारा किए गए प्रकटन से पूर्व ही बरामद किया गया था, सही नहीं है । वास्तव में, शव प्रकटन कथनों के आधार पर ही बरामद किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रकटन कथन के अनुसरण में शव और आक्रामक आयुध की बरामदगी की संपुष्टि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से होती है । इस प्रकार, सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है ।

10. तथापि, शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुरजोर रूप से अभियुक्तों द्वारा बंदूक (प्रदर्श पी/27) के प्रयोग का पता चलता है । अत: अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाला साक्ष्य है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रकटन कथन के अनुसरण में की गई बरामदगी से पूर्व शव की जानकारी अभियोजन पक्ष को नहीं थी, इसलिए विचारण न्यायालय का निष्कर्ष सही नहीं है । उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि यदि यह मान लिया जाए कि बंदूक से गोली केवल एक अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी, तो इससे सुसंगत घटना में अन्य अभियुक्त की अपराध में आलिप्त भूमिका से दोषमुक्ति नहीं मिल जाती है ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् कांउसेल ने यह दलील दी कि चूंकि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन पक्ष को इस परिकल्पना को साबित करना चाहिए था कि अभियुक्तों ने ही अपराध कारित किया था । अभियोजन साक्षियों ने विरोधाभासी कथन किए हैं जिनसे परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है और वास्तव में अभियोजन के पक्षकथन की सत्यता गंभीर रूप से संदेहास्पद हो जाती है । **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उन शर्तों का वर्णन किया है जिन्हें किसी अभियुक्त के विरूद्ध मामले को परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध किया गया कहने के लिए अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए । न्यायालय ने निम्निलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

"153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म विश्लेषण से यह पता चलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं –

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी या की जानी चाहिए' न कि 'सिद्ध की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहब राव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 = 1973 एस. सी. सी. (क्रि.) 1033 = 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1783] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' और 'हो सकता है' तथा 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य परिकल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर परिकल्पना के सिवाय हर संभावित परिकल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित होता हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

12. **बृजेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जिन परिस्थितियों से दोषिता निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से सिद्ध कि जानी चाहिए और केवल एक परिकल्पना अर्थात् अभियुक्त कि दोषिता के संगत भी होनी चाहिए । परिस्थितियां निश्चायक होनी चाहिएं और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जानी चाहिए । घटनाओं की श्रृंखला अवश्य ही उतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे की न्यायालय के मस्तिष्क में कोई सारभूत् संदेह न रह जाए । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं है अपितु अभियुक्त की दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । यह विधि का स्थिर सिद्धांत है कि इसके पूर्व कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके, अभियोजन पक्ष को कतिपय शर्तों का समाधान करना होता है । जिन परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, वह पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं और केवल एक परिकल्पना अर्थात् अभियुक्त कि दोषिता के संगत भी होनी चाहिए परिस्थितियां निश्चायक होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जानी चाहिए । घटनाओं की श्रृंखला अवश्य ही उतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि न्यायालय के मस्तिष्क में सारभूत् संदेह न रह जाए । अप्रतिरोध्य रूप से, साक्ष्य से अभियुक्त की

---

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 289.

निर्दोषिता के असंगत निष्कर्ष निकलना चाहिए और केवल यह संभाव्यता होनी चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया था । दूसरे शब्दों में, घटनाओं की श्रृंखला का गठन करने वाली परिस्थितियां साबित कि जानी चाहिएं और उनसे संचयी रूप से केवल अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए । इन परिस्थितियों में, दोषिता का निष्कर्ष केवल तब न्यायोचित हो सकता है जब अपराध में आलिप्त करने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति कि दोषिता के असंगत पाई जाती हैं ।"

13. प्रस्तुत अपीलों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने शव की बरामदगी अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार के प्रदर्श पीडब्यू2/ए और प्रदर्श पीडब्ल्यू15/सी द्वारा किए गए संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने से पूर्व की गई थी या नहीं ।

14. यह दलील दी गई कि रत्ती राम की मृत्यु के बारे में सूचना निरीक्षक राम सिंह (अभि. सा. 15) को अपीलार्थियों में से एक सतीश कुमार द्वारा 7.15 बजे पूर्वाह्न में दूरभाष पर देने पर प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 15 ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अन्य पुलिस पदधारियों से सटे बाल्ह चुरानी जंगल में गया था । प्रदर्श पीडब्ल्यू1/ए गांव बाल्ह चुरानी में अभि. सा. 15 द्वारा 12.45 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया नीलम शर्मा का कथन है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 2.05 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई है ।

15. नीलम शर्मा का पहला कथन (प्रदर्श पीडब्ल्यू1/ए) यह है कि उसे पुलिस से, जब वह गांव में आए थे, यह पता चला कि सतीश कुमार और राजीव कुमार ने उसके पिता की हत्या कर दी है । उसने अभि. सा. 1 के रूप में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्तों का कथन उनके द्वारा जंगल में रवाना होने से पूर्व अभिलिखित किया गया था और वार्ड सदस्य (जसवंत सिंह) के सिवाय किसी भी व्यक्ति ने इस साक्षी को यह नहीं बताया था कि सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी गई है । उसका कथन अभिलिखित करने के पश्चात् वह पुलिस और साक्षी जसवंत सिंह और कुलदीप सिंह तथा अभियुक्त

राजीव कुमार और सतीश कुमार के साथ जंगल में गई थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभि. सा. 2 जसवंत सिंह ने पुलिस के पहुंचने से पूर्व उसे यह सूचित किया था कि उसके पिता का शव जंगल में पड़ा हुआ है । जसवंत सिंह ग्राम पंचायत रोबिन के बाल्ह चुरानी से वार्ड सदस्य है । कुछ पुलिस पदधारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए थे, जबकि कुछ उसके पिता के शव के साथ आए थे । उसने इस बात से इनकार किया कि बाल्ह चुरानी जंगल एक बड़ा जंगल है ।

16. दूसरी ओर, अभि. सा. 2 को तब पक्षद्रोही घोषित किया गया था जब उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि राजीव कुमार द्वारा उसकी मौजूदगी में कोई प्रकटन कथन नहीं किया गया था । लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने इस बात से इनकार किया की अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा कोई प्रकटन कथन किया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि राजीव कुमार ने उसकी मौजूदगी में किसी कथन पर हस्ताक्षर किए थे । उसने अन्य बरामदगी ज्ञापनों से भी इनकार किया । अभियुक्तों द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया की बाल्ह चुरानी जंगल मृतक रत्ती राम के मकान के निकट से आरंभ होता है और बहुत सारे रजिस्ट्रीकृत शिकारी घटना से पूर्व शिकार करने के लिए इस जंगल में आते रहते थे । कुछ शिकारी अनुज्ञा के बिना भी इस जंगल में आते थे । रत्ती राम का शव उसके घर से लगभग एक किलोमीटर दूरी से बरामद किया गया था । मोटर-गाड़ी चलने योग्य सड़क शव से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया की नीलम शर्मा और अभियुक्त सतीश कुमार का कथन शव की शनाख्त होने के पश्चात् शव के निकट अभिलिखित किया गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सतीश कुमार ने पुलिस को यह कथन किया था कि उसने गलती से एक गोली चला दी थी किन्तु उसने यह कथन नहीं किया था कि बन्दूक से गोली उसके द्वारा और राजीव कुमार द्वारा चलाई गई थी । उसने यह कथन किया कि राजीव कुमार ने पुलिस को यह कहा था की उनकी बंदूक गोली चलाने के लिए प्रयुक्त नहीं की गई थी किन्तु फिर भी पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लिया गया था । उसने यह स्वीकार किया कि

सतीश कुमार के पिता कांशी राम और स्वयं उसके बीच दांडिक मामले चल रहे थे किन्तु उन मामलों में समझौता हो गया था ।

17. अभि. सा. 3 कुलदीप सिंह पक्षद्रोही हो गया था और इस बात से इनकार किया कि उसकी मौजूदगी में अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा कोई कथन किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया की बाल्ह चुरानी गांव के 15-20 व्यक्ति जंगल में गए थे । उसने यह स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा शव की खोज की गई थी और किसी व्यक्ति द्वारा इस स्थल का सीमांकन नहीं किया गया था ।

18. अभि. सा. 15 राम सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार को तारीख 22 दिसम्बर, 2009 को 1.30 बजे अपराह्न में गिरफ्तार किया गया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस थाने से रवाना होने से पूर्व जसवंत सिंह (अभि. सा. 2) को सूचित नहीं किया था । उसने दैनिक डायरी रिपोर्ट के अनुसरण में दूरभाष पर पुलिस थाने से किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि नीलम शर्मा का कथन अभिलिखित करने से पूर्व उसे यह पता चला था कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने के कारण हुई है । अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार से जसवंत सिंह और कुलदीप सिहं की मौजूदगी में प्रश्न किए गए थे । उसने इस बात से इनकार किया कि सतीश कुमार द्वारा पुलिस थाने में कोई टेलीफोन कॉल नहीं की गई थी । उसने यह स्वीकार किया कि जिस स्थान पर शव पड़ा हुआ था, वह रत्ती राम के मकान से लगभग एक किलोमीटर दूर था और दोनों अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से उस स्थान की शनाख्त की थी जहां शव पड़ा हुआ था ।

19. पुलिस द्वारा 7.15 बजे पूर्वाह्न में फोन कॉल प्राप्त की गई थी । जंगल में शव की बरामदगी के स्थान की दूरी मृतक के मकान से लगभग केवल 2 किलो मीटर है । नीलम शर्मा के 12.45 बजे अपराह्न में अभिलिखित किए गए प्रथम कथन में यह बताया गया है कि उसके पिता को सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा बंदूक की गोली से मारा

गया था । वह कैसे हमलावरों के नामों का खुलासा कर सकती थी, यदि पुलिस को अभी अन्वेषण आरंभ करना था ? अभियुक्त सतीश कुमार का कथन राजीव कुमार के कथन से पहले अभिलिखित किया गया था, जो कि अभि. सा. 15 के अनुसार 1.30 बजे से 2.00 बजे अपराह्न के बीच अभिलिखित किया गया था । किन्तु अभि. सा. 2 जसवंत सिंह के अनुसार, पुलिस ने उसे बुलाया था और उससे घटना के बारे में पहली बार पुष्टि की थी, जबकि अन्वेषक अधिकारी ने कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अभि. सा. 2 से किए गए किसी संपर्क की बात से पूरी तरह से इनकार किया है । अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, वह सतीश कुमार, जसवंत सिंह, कुलदीप सिंह और नीलम शर्मा को साथ लेने के पश्चात् बाल्य चुरानी जंगल के लिए रवाना हुआ था । प्रथन इत्तिला रिर्पोट में सतीश और राजीव कुमार द्वारा बंदूक की गोली से मृत्यु के कारण के निष्कर्ष को, जो कि अन्वेषण प्रक्रिया को आरंभ करने का आधार है, केवल तभी उल्लेख किया जा सकता था यदि शव को पहले ही बरामद किया गया हो । अन्वेषक अधिकारी ने अभि. सा. 1 नीलम शर्मा तथा अभि. सा. 2 जसवंत सिंह के कथन के विरोधाभासी कथन किया है । साक्षियों के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं जिससे कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सके । अभियोजन का साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है ।

20. संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन सतीश कुमार द्वारा की गई टेलीफोन कॉल पर आधारित है किन्तु टेलीफोन कॉल की सत्यता का सत्यापन करने के लिए कॉल का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, प्राप्त हुई फोन कॉल के अनुसरण में कोई सत्यापन नहीं किया गया था ।

21. अपराध में आलिप्त करने वाली जिस अन्य परिस्थिति से उच्च न्यायालय प्रभावित हुआ है, वह लेख राम, अनुज्ञप्तिधारी के मकान से एकनाली बंदूक सहित कारतूस की बरामदगी है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से केवल यह दर्शित होता है कि ऐसी बंदूक अपराध के करने में प्रयुक्त की गई थी, किन्तु अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वास्तव में किस अभियुक्त ने बंदूक का

प्रयोग किया था । अभियुक्त सतीश कुमार का प्रकटन कथन यह है कि उसने बंदूक से गोली चलाई थी । किन्तु बंदूक की बरामदगी अभियुक्त राजीव कुमार के प्रकटन कथन के आधार पर हुई थी । लेख राम की लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग करने के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, यद्यपि बंदूक के साथ-साथ खाली और जिंदा कारतूस राजीव कुमार के कथन के आधार पर बरामद किए गए थे । यह निश्चायक रूप से अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि वह राजीव कुमार था या सतीश कुमार, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी । इस साक्ष्य के अभाव में कि दोनों अभियुक्तों में से किसने मृतक पर गोली चलाई थी, अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई केवल बंदूक की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

22. उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अतिरिक्त रूप से अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया है । अधिनियम की धारा 25 में वर्णित शर्तों में से किसी शर्त का लेख राम, अनुज्ञप्तिधारी सहित सभी अभियुक्तों पर मोटे तौर पर भी विस्तार नहीं होता है । अधिनियम की धारा 27 में दंड के लिए वहां उपबंध किया गया है यदि जो कोई उक्त अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का प्रयोग करता है । पुनः, धारा 5 में वर्णित शर्तों में से कोई भी शर्त लेख राम सहित किसी भी अभियुक्त पर लागू नहीं होती है । अधिक से अधिक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने का अभिकथन किया जा सकता है किन्तु अभियुक्तों में से किसी को भी अधिनियम की धारा 30 के अधीन अतिक्रमण के लिए आरोपित नहीं किया गया है । इसलिए अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्तों में से कोई भी दोषसिद्धि के लिए दायी नहीं है ।

23. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु सुसंगत होता है किन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के किसी हेतु को साबित करने में असफल रहा है । नीलम शर्मा (अभि. सा. 1) के कथन के अनुसार, हेतु सतीश कुमार के साथ भूमि विवाद था । यदि ऐसा हेतु था, तो अपने पिता के ठोर-ठिकाने का पता करने के लिए उसके पास सतीश कुमार से

संपर्क करने का कोई कारण नहीं था, जो कथित रूप से उसके मकान के निकट रह रहा था । उक्त हेतु के टिके रहने के लिए कोई आधार नहीं है ।

24. विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित किया था । दोषमुक्ति के ऐसे आदेश में केवल तब हस्तक्षेप किया जा सकता है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में अनुचितता हो । केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय की एक भिन्न राय है, उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा । उच्च न्यायालय ने अपील में निर्णय को अपास्त करने और इस मामले में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए उस दृष्टिकोण की बजाय, जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया था, एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा गया है) की धारा 389 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय ने दोष के साबित न होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया हो, अपील न्यायालय को केवल तब हस्तक्षेप करना चाहिए यदि निष्कर्ष अनुचित हों और किसी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना संभव न हो । उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता है कि साक्ष्य की प्रक्रिया के आधार पर अपील न्यायालय का दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से भिन्न है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया था । **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की संहिता के अधीन शक्तियों की व्याप्ति पर विचार किया था और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

> "42. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त विनिश्चयों से दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित साधारण सिद्धांत प्रकट होते हैं –

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

(1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति प्राप्त है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है ;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बन्धन या शर्त नहीं है और अपील न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि दोनों ही प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकेगा ।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियां जैसे "सारभूत और बाध्यकारी कारण", "मान्य और पर्याप्त कारण", "अत्यंत प्रबल परिस्थितियां", "गलत निष्कर्ष", "स्पष्ट त्रुटियां" इत्यादि से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर कार्रवाई करते समय अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं हैं । ऐसा शब्द प्रयोग, साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की न्यायालय की शक्ति को सीमित करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छुकता पर बल देने के लिए "अलंकारिक भाषा" की प्रकृति का अधिक है ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । प्रथमतः, उसे दांडिक विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन निर्दोषिता की यह उपधारणा, उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी दोषिता साबित नहीं कर दी जाती । दूसरे, अभियुक्त की दोषमुक्ति होने पर उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और प्रबल, पुनः पुष्ट और दृढ़ किया जाता है ।

(5) यदि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाले जाने संभव हों, तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

25. हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया है, यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर एक संभाव्य निष्कर्ष है । हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष मृतक रत्ती राम की मृत्यु कारित करने में अभियुक्तों की भूमिका को साबित करने में असफल रहा है क्योंकि अभियुक्त सतीश कुमार और राजीव कुमार द्वारा किए गए एक जैसे प्रकटन कथनों के अनुसरण में शव की बरामदगी साबित नहीं होती है । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में कि किसने बंदूक से गोली चलाई थी जो घातक सिद्ध हुई थी, संदेह का फायदा अवश्य ही अभियुक्त व्यक्तियों को मिलना चाहिए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उन्हें यह फायदा दिया गया था ।

26. परिणामत:, हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश पूर्णत: अवैध, अनावश्यक और अनुचित है । अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार, दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाता है । जमानत बंधपत्र उन्मोचित हो जाएंगे । सभी अभियुक्तों को, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो, रिहा कर दिया जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.